फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

सुनीता बनाम देवीलाल आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट

प्रकरण संख्या 46 /2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
15.03.2023	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया संख्या 01 ने स्वयं उपस्थित होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । प्रार्थीया को इकतरफा सुना गया । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होता है । अत : प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण, रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या 59/63 की 13.6960 हैक्टेयर वाद भूमि की आगामी तारीख पेशी तक यथास्थिति बनाये रखें । उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा । प्रार्थी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें । पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक : 17/04/2023 को पेश हो । सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर (हनुमानगढ)	
17/4/23	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् [illegible] ओ. साहब अन्य कार्य के व्यस्त है पत्रावली दि० 30/5/23 पेश हो ।	
30/5/23	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् [illegible] ओ. साहब अन्य कार्य मे व्यस्त है । [illegible] । ता उकित [illegible] रामपाल सो [illegible] अधिवक्ता उपस्थित पत्रावली दि० 27/7/23 पेश हो ।	
15/6/23	वकील प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेश हुई (सहवन से लिखा गया) पत्रावली पेश हुई [illegible] चुका है । प्रार्थना-पत्र चलने योग्य नहीं [illegible] इसी स्तर पर खारिज [illegible] पत्रावली दाखिल दफ्तर हो । उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:54:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner